दिनांकः 20.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ फायरिंग की घटना में वांछित 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 पिस्टल .32 बोर 01 जिंदा/01 खोखा कारतूस .32 बोर व 03 तमंचा 315 बोर, 03 जिंदा/03 खोखा कारतूस 315 बोर एवं 01 तमंचा .32 बोर, 01 जिन्दा/01 खोखा कारतूस .32 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 18/19.08.2025 की रात्रि में 02.00 बजे दो पक्षो में गाली गलौच तथा वर्चस्व को लेकर दर्पण तिराहा शारदानगर के पुल के पास फायरिंग की घटना हुयी थी। **प्रथम पक्ष वादी मौ0 अयाज पुत्र मौ0 अहसान निवासी रायवाला निसार रोड हाजी अल्लाह रख्खा वाली गली थाना मंडी जनपद सहारनपुर** की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. अन्नु उर्फ अनुराग , 2. अनुभव , 3. उमंग व अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के भाई आमिर उर्फ आजम पुत्र मौ0 अहसान की गर्दन में 03 गोली मारकर घायल कर देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 279/2025 धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था तथा **द्वितीय पक्ष वादी श्री रामबीर पुत्र कटार सिंह निवासी राधा कृष्ण कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. पीयूष, 2. शाकिब अहमद, 3. आदित्य खन्ना, 4. हैदर उर्फ लक्की, 5. आशिफ उर्फ साहिल व 6. आमिर उर्फ आजम व अन्य अज्ञात द्वारा वादी के पुत्र अनुराग पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने की सूचना पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 282/2025 धारा 191(2)/191(3)190/109(1)352/351(3) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। आज दिनांक 20.08.2025 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 18/19.08.2025 की रात्रि में जिन दो पक्षों में दर्पण तिराहा शारदानगर पुल के पास आपस में फायरिंग हुयी थी वह दोनो पक्ष अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दबनी कब्रिस्तान के पास में आमने सामने होने वाले है कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम जैसे ही दबनी कब्रिस्तान के पास पहुँची तो दोनो पक्षों के लोगो ने पुलिस को देखकर जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दी और भागने लगे इस पर पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए घेराबन्दी करते हुए उपरोक्त मुकदमों में वांछित 05 **अभियुक्तगण 1. पीयूष पुत्र पवन निवासी पुराना कमेला थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर, 2. शाकिब अहमद पुत्र अशलूब निवासी रायवाला थाना मंडी जनपद सहारनपुर, 3. आसिफ उर्फ साहिल पुत्र अकबर निवासी भीमसैन वाली गली खलासी लाईन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** (सम्बन्धित मु0अ0सं0 282/2025 धारा 191(2)/191(3)190/109(1)352/351(3) बीएनएस) **तथा 4. उमंग उर्फ मौलिक राणा पुत्र जितेन्द्र कुमार निवासी बनट थाना आदर्श मंडी जनपद शामली, 5. अनुभव पुत्र राजीव कुमार निवासी सहसपुर जट थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** (सम्बन्धित मु0अ0सं0 279/2025 धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस) को दबनी कब्रिस्तान के पास मानकमऊ को जाने वाले खडंजे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण पीयूष उपरोक्त के कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा/01 खोखा कारतूस 315 बोर, शाकिब अहमद उपरोक्त से 01 पिस्टल व 01 जिन्दा/01 खोखा कारतूस .32 बोर, आसिफ उर्फ साहिल उपरोक्त से 01 तमंचा 315 बोर (मसकट टाईप) व 01 जिन्दा/01 खोखा कारतूस 315 बोर, उमंग उपरोक्त से 01 तमंचा

.32 बोर मय 01 जिन्दा/01 खोखा कारतूस .32 बोर तथा अनुभव उपरोक्त से 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा/01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। **गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है। जिनके द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है।** गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1- पीयूष पुत्र पवन निवासी पुराना कमेला थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2- शाकिब अहमद पुत्र अशलूब निवासी रायवाला थाना मंडी जनपद सहारनपुर
3- आसिफ उर्फ साहिल पुत्र अकबर निवासी भीमसैन वाली गली खलासी लाईन थाना सदर बाजार, सहारनपुर
4- उमंग उर्फ मौलिक राणा पुत्र जितेन्द्र कुमार निवासी बनट थाना आदर्श मंडी जनपद शामली
5- अनुभव पुत्र राजीव कुमार निवासी सहसपुर जट थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 पिस्टल .32 बोर
- 01 तमंचा .32 बोर
- 03 तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर
- 02 खोखा कारतूस .32 बोर
- 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 03 खोखा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त पीयूष उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 65/2024 धारा 294 भादवि थाना कुतुबशेर, स0पुर।
2. मु0अ0सं0 104/2025 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना कुतुबशेर, स0पुर।
3. मु0अ0सं0 226/2025 धारा 109(1) बीएनएस थाना कुतुबशेर, स0पुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री धीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री असगर अली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. हैड का0 960 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. हैड का0 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
6. हैड का0 639 मुकेश थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. हैड का0 12 अंकुश गोदारा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
8. हैड का0 388 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
9. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
10. का0 1811 राहुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
11. का0 1215 कपिल गौड थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
12. का0 2374 नीरज कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक20 -.08.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से 15-15 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों नशे के/ अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में – "ऑपरेशन सवेरा""नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिग व गस्त को दौरान 02 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्तगण 1. शोकीन पुत्र शमीम नि0 नई वस्ती हलालपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर व 2. शादाब पुत्र नौशाद नि0 मो0 लईयागढ थाना कुतुवशेर जिला सहारनपुर** को अभिनव इण्टर कालेज बालपुर के पास निर्माणधीन बाईपास के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 15-15 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 365/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. शोकीन पुत्र शमीम नि0 नई वस्ती हलालपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
2. शादाब पुत्र नौशाद नि0 मो0 लईयागढ थाना कुतुवशेर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 15 ग्राम स्मैक (अभियुक्त शौकीन)
- 15 ग्राम स्मैक (अभियुक्त शादाब)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शौकीन

1. मु0अ0स0 193/24 धारा 323/498ए/504 भा0द0वि0 व 3/4 दहेज अधि0 थाना को0 देहात, सहारनपुर
2. मु0अ0स0 371/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

3. मु0अ0स0 434/20 धारा 120बी/147/148/149/323/420/467/468/469/470/504/506 भा0द0वि0 थाना को0 देहात, सहारनपुर
4. मु0अ0स0 802/18 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0स0 361/18 धारा 323/332/353/392/427/511 भा0द0वि0 थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0स0 एनडीपीएस एक्ट 21/8 धारा 2025/365 थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शादाब

1. मु0अ0स0 एनडीपीएस एक्ट 21/8 धारा 2025/365 थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सुबोध कुमार शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिह थाना कोतवाली हेदात जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 334 संजीव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
4. का0 1253 अनिरुद्ध खोखर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक:20.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.08.2025 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारन्टी **अभियुक्त आरिफ पुत्र नसीम निवासी पीरवाली गली न.16 थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर** सम्बन्धित एसटी न- 279/18 धारा- 398/401 भादवि चालानी थाना मण्डी (मा0 न्यायालय एडीजे सीआर-15 एडिशनल पोक्सो स0पुर मे पेशी हेतु नियत तिथि 20.8.2025) व सम्बन्धित एसटी न. 26/2022 धारा- 398/401 भादवि चालानी थाना मण्डी सहारनपुर (मा0 न्यायालय एडीजे सीआर-15 एडिशनल पोक्सो स0पुर मे पेसी हेतु नियत तिथि 20.8.2025) व सम्बन्धित एसटी न0- 281/18 धारा- 4/25 आर्सम एक्ट चालानी थाना मण्डी सहारनपुर (मा0 न्यायालय एडीजे सीआर-15 एडिशनल पोक्सो स0पुर मे पेशी हेतु नियत तिथि 20 .8.2025) को पीरवाली गली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आरिफ पुत्र नसीम निवासी पीरवाली गली न.16 थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 श्री राजबहादुर राठी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. है0का0 552 हरेन्द्र थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. है0का0 72 प्रदीप कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
4. का0 1600 मनोज आर्य थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः20.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा पत्रकार पर जानलेवा हमला करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24.06.2025 को वादी श्री शादाब चौधरी पुत्र रिजवान चौधरी निवासी नई बस्ती गली नं0 03 पुराना घांस काटा चकरोता रोड कोतवाली नगर सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. फरमान पुत्र गफ्फूर निवासी नूर बस्ती महराज मस्जिद थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर, 2. नफीस पुत्र इमरान निवासी भारत गैस गोदाम घोसियो वाला कब्रिस्तान के सामने गली थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर व 3. रिहाना पत्नी सकील उर्फ सोनू निवासी जुल्मगढ(शाबिर कालोनी धर्म कांटा लीची वाला बाग) थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर द्वारा वादी को जान से मारने की नियत से हमला करना, गाली गलौच करना व जान से मारने की धमकी देना व वादी का कैमरा तोड देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0- 248/2025 धारा 109,324(4),352,351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिहं के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.08.25 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **01 वाँछित अभियुक्त फरमान पुत्र गफूर निवासी न्यू मालवीय नगर नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर स0पुर हाल पता स्मार्ट कालोनी रसूलपुर थाना को0 देहात स0पुर** को कोर्ट रोड रोडवेज वर्कशॉप के सामने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः अभियुक्त फरमान उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै तथा मेरी भाभी व मेरी भाभी का भाई दिनांक 22.06.25 को साबिर कालौनी में नशीला पदार्थ बेच रहे थे तो वहां पर पत्रकार शादाब चौधरी आ गया जो हमें नशीला पदार्थ बेचते देख कर पुलिस को बताने के लिये हमारी वीडियो बनाने लगा जिस पर हम लोगो ने शादाब चौधरी को वीडियो बनाने व पुलिस से शिकायत करने से मना किया जो नही माना फिर हम तीनो ने शादाब चौधरी को जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया अगर यह बच गया तो हमारी वीडियो पुलिस दे देगा। इसीलिए हमने शादाब को मारने की कोशिश की और इसका कैमरा तोड कर खुर्द बुर्द कर दिया जिससे वीडियो न मिल सके। खुर्द बुर्द कर भागकर पावधोयी नदी मे फेंक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फरमान पुत्र गफूर निवासी न्यू मालवीय नगर नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर हाल पता स्मार्ट कालोनी रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभि0 फरमान–

1. मु0अ0स0 276/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात
2. मु0अ0स0 307/24 धारा 115(2)/352/74 बीएनएस थाना कोतवाली नगर
3. मु0अ0स0 58/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर
4. मु0अ0सं0- 248/2025 धारा- 109,324(4),352,351(3) बीएनएस थाना कोतवाली नगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र नागर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 02 कलम कौशिक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 310 विपिन पवार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 20.08.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा नशीली गोलियों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/ चिन्हित पशु माफिया/ हिस्ट्रीशीटर / अन्तर्राज्यीय गौकश /NBW वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 7800 अवैध नशीली गोलिया (वजन करीब 1014 ग्राम) व नशीली गोलियां बेचकर कमाये कुल 24,050/- रूपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों /नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा नशीली गोलियों की तस्करी करने वाला **01 शातिर नशा तस्कर/ चिन्हित पशु माफिया/ हिस्ट्रीशीटर / अन्तर्राज्यीय गौकश / वारण्टी/ अभियुक्त रिजवान पुत्र अख्तर निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** को जंगल ग्राम दुमझेडा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 7800 अवैध नशीली गोलिया व नशीली गोलियां बेचकर कमाये कुल 24,050/- रूपये बरामद हुए। **गिरफ्तार अभियुक्त थाना चिलकाना का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर व अन्तर्राज्यीय गौकश अपराधी भी है। गिरफ्तार अभियुक्त चिन्हित पशु माफिया अपराधी है।** गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर द्वारा जारी NBW वारण्ट सम्बन्धित वाद सं0- 10786/23 धारा 25 आर्म्स एक्ट व वाद सं0- 2181/23 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट मे फरार वारण्टी अभियुक्त है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 199/25 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। **गिरफ्तार अभियुक्त अभ्यस्त किस्म का शातिर अपराधी है जिसके विरुद्ध जनपद सहारनपुर व हरियाणा राज्य मे पूर्व लगभग तीन दर्जन मकुदमे पंजीकृत है।** अभियुक्त रिजवान उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्क विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

रिजवान पुत्र अख्तर निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 7800 अवैध नशीली गोलिया (वजन करीब 1014 ग्राम)
- 24,050/- रूपये नकद (नशीली गोली बेचकर कमाये गये)

गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 120/03 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट PS चिलकाना जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 187/07 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट PS चिलकाना जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 196/2000 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट PS चिलकाना जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 27/99 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट PS चिलकाना जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 35/02 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट PS चिलकाना जिला सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 07/08 धारा 307 IPC PS चिलकाना जिला सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 208/08 धारा 25 आर्म्स एक्ट PS चिलकाना जिला सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 148/08 धारा 379 IPC PS चिलकाना जिला सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 156/08 धारा 379 IPC PS चिलकाना जिला सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 173/08 धारा 379 IPC PS चिलकाना जिला सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 174/08 धारा 379 IPC PS चिलकाना जिला सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 175/08 धारा 379 IPC PS चिलकाना जिला सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 225/08 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट PS चिलकाना जिला सहारनपुर
14. मु0अ0सं0 62/09 धारा 3 UP गुंडा एक्ट PS चिलकाना जिला सहारनपुर
15. मु0अ0सं0 132/05 धारा 3 UP गुंडा एक्ट PS चिलकाना जिला सहारनपुर
16. मु0अ0सं0 22/05 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट PS यमुनानगर हरियाणा
17. मु0अ0सं0 206/04 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट PS यमुनानगर हरियाणा
18. मु0अ0सं0 264/14 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 311 व पशु क्रूरता 420 भादवि थाना सरसावा स0पुर
19. मु0अ0सं0 299/15 U/S 3/5/8 सीएस एक्ट व 311 पशु क्रूरता PS चिलकाना जिला सहारनपुर
20. मु0अ0सं0 310/15 धारा 326, 452, 323, 506 IPC PS चिलकाना जिला सहारनपुर
21. मु0अ0सं0 84/16 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता PS चिलकाना जिला सहारनपुर
22. मु0अ0सं0 142/17 धारा 3 UP गुंडा एक्ट PS चिलकाना जिला सहारनपुर
23. मु0अ0सं0 168/17 धारा गैंगस्टर एक्ट PS चिलकाना जिला सहारनपुर
24. मु0अ0सं0 500/19 धारा 307 IPC पु0मु0 PS चिलकाना जिला सहारनपुर
25. मु0अ0सं0 501/19 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट PS चिलकाना जिला सहारनपुर
26. मु0अ0सं0 502/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट PS चिलकाना जिला सहारनपुर
27. मु0अ0सं0 76/24 धारा 3 UP गुंडा एक्ट PS चिलकाना जिला सहारनपुर
28. मु0अ0सं0 199/25 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट PS चिलकाना जिला सहारनपुर
29. मु0अ0सं0 49/11 धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बुडिया नगर यमुनानगर हरियाणा
30. मु0अ0सं0 511/06 धारा 4 बी सीएस एक्ट थाना जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा
31. मु0अ0सं0 260/12 धारा 4 बी सीएस एक्ट थाना सदर यमुनानगर जिला यमुनानगर हरियाणा
32. मु0अ0सं0 108/17 धारा 174 ए भादवि थाना बुडिया यमुनानगर हरियाणा
33. मु0अ0सं0 222/17 धारा 174 ए भादवि थाना सदर यमुनानगर जिला यमुनानगर हरियाणा

34.मु0अ0सं0 35/18 धारा 13(2) सीएस एक्ट थाना थाना बुडिया यमुनानगर हरियाणा
35.मु0अ0सं0 196/23 धारा 174 ए भादवि थाना बुडिया जनपद यमुनानगर हरियाणा
36.मु0अ0सं0 64/16 धारा 13(2) सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना थाना बुडिया यमुनानगर हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री राजकुमार सारन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. का0 1107 अरविन्द कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. का0 2034 राहुल मोतला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

दिनांकः 20-08-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर नकबजन/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 7550/- रूपये व 01 चोरी का इनवर्टर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 09.08.2025 को वादी श्री रोहित कुमार पुत्र स्व0 सुभाषचन्द नि0 मौहल्ला मनिहारान कस्बा बेहट सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा दिनांक 08/09-08-2025 की रात्रि में वादी की दुकान के काउंटर के गल्ले से नकदी चोरी कर लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 345/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 331(4) बीएनएस की बढोतरी की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **02 शातिर नकबजन/अभियुक्तगण 1. साकिर उर्फ अण्डा पुत्र यासीन निवासी कस्बा लावड थाना इंचौली जनपद मेरठ 2. दीन मौहम्मद पुत्र हनीफ निवासी मौहम्मदपुर लाहेड्डा थाना रतनपुरी मुजफ्फर नगर हाल पता ढन्ढौरा रेलवे फाटक के पास थाना सिविल लाईन रूडकी (उत्तराखण्ड)** को बेलका नहर के पास कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी किये गये कुल 7550/- रूपये व 01 चोरी का इनवर्टर (सम्बन्धित मु0अ0सं0 85/25 धारा- 305(ए) बीएनएस थाना बिहारीगढ) बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक स्वर में बताया कि हम लोगों का चोरी करने का ही काम है। हमने पहले भी काफी जगह चोरी की है। हम कई बार चोरी के मुकदमों में जेल भी गये है। हम लोग अपना खर्चा चलाने के लिये दिन में रैकी करके रात को चोरी करते है। हम दोनों ने योजनबद्ध तरीके से कई जगह रैकी की थी तथा कस्बा बेहट में गंदेवड रोड पर स्थित परचून की थोक की दुकान की भी रैकी की थी फिर मौका पाकर हम लोगो ने दिनाकं 08/09.08.2025 की मध्य रात्रि में दुकान के बराबर में स्थित खंडहर की तरफ से दुकान में कुंबन लगाकर अंदर घुसकर दुकान के गल्ले से बहुत सारे रुपये व एक चैकबुक की चोरी की कर ली थी और इन्वर्टर के बारे में बताया कि यह इन्वर्टर हम लोगो ने बिहारीगढ़ क्षेत्र से चोरी किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1. साकिर उर्फ अण्डा पुत्र यासीन निवासी कस्बा लावड थाना इंचौली जनपद मेरठ
2. दीन मौहम्मद पुत्र हनीफ निवासी मौहम्मदपुर लाहेड्डा थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर हाल पता ढन्ढौरा रेलवे फाटक के पास थाना सिविल लाईन जनपद रूडकी

बरामदगी का विवरण-

- 7550/- रूपये
- 01 चोरी का इन्वर्टर

अभियुक्त साकिर उर्फ अण्डा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 404/19 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना कंकरखेडा जिला मेरठ
2. मु0अ0सं0 182/22 धारा 380/411आई0पी0सी0 थाना दौराला जिला मेरठ
3. मु0अ0सं0 148/19 धारा 380 आई0पी0सी0 थाना मवाना जिला मेरठ
4. मु0अ0सं0 188/19 धारा 380/427 आई0पी0सी0 थाना मवाना जिला मेरठ
5. मु0अ0सं0 219/19 धारा 380 आई0पी0सी0 थाना मवाना जिला मेरठ
6. मु0अ0सं0 245/19 धारा 380 आई0पी0सी0 थाना मवाना जिला मेरठ
7. मु0अ0स0 141/22 धारा 380/411//414/457 आई0पी0सी0 थाना नई मण्डी जिला मुजफ्फरनगर
8. मु0अ0सं0 85/25 धारा- 305(ए) बीएनएस थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त दीन मौहम्मद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 237/2020 धारा 307/414 आई0पी0सी0 थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर
2. मु0अ0सं0 238/2020 धारा 25/27/3 आयुध अधिनियम थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर
3. मु0अ0सं0 798/2019 धारा 380/411 आई0पी0सी0 थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर
4. मु0अ0स0 822/2019 धारा 380/411/457 आई0पी0सी0 थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर
5. मु0अ0सं0 962/2015 धारा 138(बी) भा0वि0अधि0 (संशोधित) थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर
6. मु0अ0सं0 85/25 धारा- 305(ए) बीएनएस थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अमित यादव थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1058 राहुल राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 742 विनोद कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांकः 20-08-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा नकबजनी की घटना का अनावरण करते हुए 01 शातिर नकबजन/ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये कुल 2200/- रूपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 19.08.2025 को वादी हाजी भूरा उर्फ महफूज पुत्र इनायतुल्ला नि0 ग्राम चिम्माबाँएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त कलीम पुत्र शकील द्वारा वादी की दुकान में कुम्बल लगाकर रूपये चोरी करके दुकान की दीवार में बनाये हुई जगह से भाग जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 367/25 धारा- 331(3)/305(ए) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी आदि घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के नेतृत्व में आज दिनांक 20.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नकबजनी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर नकबजन/ **अभियुक्त कलीम पुत्र शकील नि0 ग्राम चिम्माबाँस थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को गाँव चिम्माबांस के बाहर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी गये कुल 2200/- रूपये बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1. कलीम पुत्र शकील नि0 ग्राम चिम्माबाँस थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 2200/- रूपये नकद बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सतेन्द्र राठी थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अरूण कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. का0 1850 मनजीत सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. का0 2183 संजू सैम थाना बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांक- 20.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना तीतरो व सर्विलांस सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मात्र 12 घण्टे मे "ऑपरेशन मुस्कान" के तहत ग्राम रादौर से लापता नाबालिग बच्चे को जनपद मथुरा से सकुशल बरामद कर किया गया परिजनो के सुपुर्द

अवगत कराना है कि दिनांक 19.08.2025 को वादी श्री प्रवीण कुमार पुत्र तेलूराम निवासू ग्राम रादौर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत वादी का भतीजा सत्यम पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम रादौर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर उम्र करीब 17 वर्ष का दिनांक 19.08.2025 को सुबह 07.00 बजे करीब घर से गीत ज्ञान इण्टर कालेज गंगोह के लिये जाने व कालेज न पहुंचने और न ही घर वापस आने की सूचना के सम्बन्ध में थाना तीतरो पर पंजीकृत मु0अ0सं0 97/25 धारा 137(2) बी0एन0एस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर गुमशुदा नाबालिग बच्चे की सकुशल बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में **"ऑपरेशन मुस्कान"** के तहत लापता बच्चो की तलाश हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 20.08.2025 को थाना तीतरों व सर्विलान्स सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए मात्र 12 घण्टे में सीसीटीवी कैमरा फुटेज की सहायता से गुमशुदा नाबालिग बालक **सत्यम पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम रादौर थाना तीतरो जिला सहारनपुर उम्र करीब 17 वर्ष** को जनपद मथुरा से सकुशल बरामद कर परिजनो के सुपुर्द किया गया। बालक के परिजनो द्वारा थाना तीतरो पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया है।

बरामद बच्चे का नाम व पता:-

बालक सत्यम पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम रादौर थाना तीतरो जिला सहारनपुर

बच्चे को बरामद करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना तीतरो जिला सहारनपुर
2. म0उ0नि0 अवनी थाना तीतरो जिला सहारनपुर
3. का0 2382 दीपक कुमार थाना तीतरो जिला सहारनपुर

दिनांक- 20.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.08.2025 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा फरार चल रहे वारण्टी अभियुक्त **पंकज पुत्र प्रीतम सिंह नि0 ग्राम हरडाखेडी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0-3409/23 धारा 147/353 भादवि नियत तिथि 01.10.25 को ग्राम हरडाखेडी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम पता-

पंकज पुत्र प्रीतम सिंह नि0 ग्राम हरडाखेडी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. का0 2534 राजीव कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. का0 2251 जितेन्द्र सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः **20.08.2025**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा 05 स्थायी वारण्टी अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 20.08.2025 को 05 स्थायी वारण्टी अभियुक्तगणों **1.नरेन्द्र पुत्र भूल्लन निवासी ग्राम सढौली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 3212/2025 धारा 147/148/153ए भादवि व 7 सी0एल0ए एक्ट थाना नकुड़ मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय जिला सहारनपुर **2.कादिर पुत्र फाजिल नि0 ग्राम रसूलपुर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर** सम्बन्धित मु0अ0स0 281/13 वाद संख्या 2551/2025 धारा 394 भादवि थाना नकुड़ मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर 3.राजेन्द्र पुत्र मदनपाल नि0 ग्राम सहाबा माजरा थाना नकुड़ जिला सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0स0 458/17 वाद संख्या 745/18 धारा 138 विद्युत अधि0 थाना नकुड़ मा0 न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 04 जिला सहारनपुर व **4.लोकेन्द्र पुत्र रिषिपाल थाना नकुड़ जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 09/24 धारा 70 कैनाल एन्ड ग्रेनेज एक्ट 8 मा0 न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अपर खन्ड पूर्वी यमुनानहर जिला सहारनपुर **5.सुरेशपाल पुत्र सरजीत सिंह निवासी मौ0 महादेव कस्बा व थाना नकुड जनपद सहारनपुर** संबंधित वाद संख्या 2843/25 मु0अ0स0 15/2011 धारा 60 आबकारी अधिनियम निर्गत मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर को उनके मसकनों से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.नरेन्द्र पुत्र भूल्लन निवासी ग्राम सढौली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2.कादिर पुत्र फाजिल नि0 ग्राम रसूलपुर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर
3.राजेन्द्र पुत्र मदनपाल नि0 ग्राम सहाबा माजरा थाना नकुड़ जिला सहारनपुर
4.लोकेन्द्र पुत्र रिषिपाल थाना नकुड़ जिला सहारनपुर
5.सुरेशपाल पुत्र सरजीत सिंह निवासी मौ0 महादेव कस्बा व थाना नकुड जनपद सहारनपुर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रामकुमार सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री शौकीन खांन थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री ओमेन्द्र मलिक थाना नकुड जनपद सहारनपुर
6. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना नकुड जनपद सहारनपुर
7. है0का0 999 राजकमल थाना नकुड जनपद सहारनपुर
8. है0का0 412 शाहरून हसन थाना नकुड जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः **20.08.2025**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारन्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे एवं थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.08.2025 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी **अभियुक्त वासिब पुत्र शकूर निवासी कालेवाला थाना भगवानपुर हरिद्रार उतराखण्ड सम्बन्धित वाद सं0 64/24 मु0अ0स0 308/21 धारा 4/25 आयुध अधि0 चालानी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त वारन्टी अभियुक्त बारू पुत्र दिसोन्दी निवासी ग्राम खेडी शिकोपहपुर वाद स0 725/25 लधारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट के मस्कन पर दबिश दी गयी। वारन्टी बारू उपरोक्त द्वारा दिनाक 18/8/25 को माननीय न्यायालय मे जाकर रिकाल करा लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

वासिब पुत्र शकूर निवासी कालेवाला थाना भगवानपुर हरिद्रार उतराखण्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. व0उ0नि0 श्री भूपेन्द्र कुमार शर्मा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 अनिल तेवतिया थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 शेषपाल सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
4. हैड का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. का0 1551 अमित कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 20.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.08.2025 को चैकिग / गस्त व दविश के दौरान थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 04 **अभियुक्तगण 1. अकरम पुत्र मुस्तकीम निवासी सलेमपुर भूखडी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर, 2. अमजद पुत्र मुस्तकीम निवासी सलेमपुर भूखडी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर व 3. आजम पुत्र मुस्तकीम निवासी सलेमपुर भूखडी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 6744/25 धारा 323/406/427/504/506 भादवि चालानी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर तथा **4.राव मौहम्मद अख्तर कुवर पुत्र अनवार निवासी ग्राम शेखपुरा कदीम थाना को0 देहात जपनद सहारनपुर** सम्बंधित वाद सं0 9193/09 धारा 323/325/504/506 भा0द0वि0 को चैकिग व दविश के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगणो के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. अकरम पुत्र मुस्तकीम निवासी सलेमपुर भूखडी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. अमजद पुत्र मुस्तकीम निवासी सलेमपुर भूखडी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. आजम पुत्र मुस्तकीम निवासी सलेमपुर भूखडी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
4. राव मौहम्मद अख्तर कुवर पुत्र अनवार निवासी ग्राम शेखपुरा कदीम थाना को0 देहात जपनद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री बबलू कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. उ0नि0 सचिन त्यागी थाना को0 देहात जपनद सहारनपुर।
3. है0का0 515 राहुल कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 736 दीपक कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
5. का0 2098 अमित कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांकः-20.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व मे आज दिनाँक 20.08.2025 को थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी **अभियुक्तगण 1. अनीस असगर निवासी उमाही थाना नांगल जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 05/18 व मु0अ0सं0 183/17 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट चालानी थाना नांगल जिला सहारनपुर मा0 न्यायालय श्रीमान स्पेशल जज गैगस्टर एक्ट तारीख पेशी 21.09.25 में व **2. नेकीराम पुत्र जयचन्द निवासी ग्राम कोटा थाना नांगल जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 595/21 धारा 60/62 आबकारी अधि0 चालानी थाना नांगल जिला सहारनपुर तारीख पेशी 12.09.2025 में थाना क्षेत्र नांगल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. अनीस पुत्र असगर निवासी उमाही थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. नेकीराम पुत्र जयचन्द निवासी कोटा थाना नांगल जिला सहारनपुर

अभियुक्त अनीस का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 116/16 धारा 4/25 ए एक्ट थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 117/16 धारा 467/468/471/414 भादवि थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 308/16 धारा 392/411/120बी भादवि थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 275/16 धारा 356 भादवि थाना नांगल जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 183/17 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना नांगल सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 371/18 धारा 4/25 ए एक्ट थाना नांगल जिला सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 508/18 धारा 41/102 सीआरपीसी थाना नांगल सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 35/21 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना नांगल सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 246/19 धारा 498ए/323/506 भादवि थाना नांगल सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 36/21 धारा 4/25 ए एक्ट थाना नांगल सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 372/18 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नांगल सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 68/23 धारा 60(1)आबकारी अधि0 थाना नांगल सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह थाना नांगल जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. है0का0 147 तन्जीम अख्तर थाना नांगल जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 20.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी साइबर टीम द्वारा आनलाइन साईबर ठगी के शिकार हुए पीडित के खाते मे 13410/- रूपये की धनराशि शत-प्रतिशत वापस करायी गयी।

अवगत कराना है कि दिनांक 13.08.2025 को वादी श्री रईस पुत्र रसीद निवासी कस्बा व थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर के साथ आनलाइन साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से कुल 13,410/- रूपये की धनराशि की ठगी के सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी साइबर हेल्पडैस्क के माध्यम से साइबर पार्टल पर आनलाइन शिकायत सं0 33108250094523 पंजीकृत की करायी गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व फ्राड में गयी धनराशि को पीडितो के खाते में वापस कराने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे थाना गागलहेडी साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए पीडित/शिकायतकर्ता रसीद प त्र रसीद निवासी कस्बा व थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर की साइबर फ्राड़ में ठगी गयी कुल 13,410/- रूपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी। पीडित द्वारा थाना गागलेहडी साइबर हेल्प डैस्क टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

साइबर फ्राड में वापस कराने वाली साईबर टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
2. कम्प्यूटर आपरेटर सन्नी सोम थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

दिनांकः20.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी से एटीएम कार्ड बदलकर रूपये की ठगी करने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अलग-अलग बैंक के 09 एटीएम कार्ड व 20,000/- रूपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 16.07.25 को वादी श्री इकराम खान पुत्र श्री दाउद अली खान निवासी वार्ड नम्बर 17 पोस्ट बिसाउ जिला झुनझुनू राजस्थान की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा धोखाधडी कर वादी का ए0टी0एम0 कार्ड बदलकर वादी के एटीएम से 44,000/- रूपये निकाल लेने के संबंध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 242/25 धारा 318(4)/303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/धोखाधड़ी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 20.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 03 शातिर ठग/**अभियुक्तगण 1.सुमित पुत्र मिन्तरपाल निवासी चन्दपुर थाना बड़गांव जिला सहारनपुर, 2.संजय पुत्र अमर सिंह निवासी चन्दपुर थाना बड़गांव जिला सहारनपुर व 3.प्रदीप पुत्र सोमेन्द्र उर्फ समुन्द्र पाल निवासी ग्राम चन्दपुर थाना बड़गांव जिला सहारनपुर** को चापरचीडी खेड़ा अफगान रोड पर स्थित एक अर्ध निर्मित मकान से किया गिरफ्तार। अभियुक्तगण के कब्जे से अलग-अलग बैकों के कुल 09 एटीएम कार्ड व 20,000/- रूपये की नकदी बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्तो के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का बयानः- अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि दिनांक 14.07.25 को ग्राम खेड़ा अफगान बस स्टैण्ड के पास स्थित इण्डिया वन ए.टी.एम मशीन से एक व्यक्ति का ATM कार्ड बदला था तथा कार्ड बदलकर हम तीनों ने उस कार्ड से 10 हजार रूपये अम्बेहटा से व 34 हजार रूपये रूड़की में जाकर निकाल लिये थे तथा हमें जानकारी हुई थी कि उस व्यक्ति द्वारा थाना नकुड पर हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। हमसे जो रूपये आपको मिले हैं ये खेड़ा अफगान में जो हमारे द्वारा घटना की गयी थी उसी में से हमारे पास बचे हुए रूपये हैं, बाकी के रूपये हमसे खर्च हो गये थे। हमारे द्वारा अन्य थाना क्षेत्रों में भी एटीएम बलदकर पैसे निकालने की घटना की हैं जिसमें हम लोग पूर्व में जेल भी जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. सुमित पुत्र मिन्तरपाल निवासी चन्दपुर थाना बड़गांव जिला सहारनपुर
2. संजय पुत्र अमर सिंह निवासी चन्दपुर थाना बड़गांव जिला सहारनपुर
3. प्रदीप पुत्र सोमेन्द्र उर्फ समुन्द्र पाल निवासी ग्राम चन्दपुर थाना बड़गांव जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 09 एटीएम कार्ड (अलग-अलग बैंको के)

➢ 20,000/- हजार रुपये।

अभियुक्त सुमित उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 006/2022 धारा 379/420 भादवि व 66सी आईटी एक्ट थाना साईबर थाना सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 178/22 धारा 379/411/420 भादवि थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 818 सचिन तोमर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. हे0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. का0 1890 मोन्टी चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. कां0 1806 योगेश थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
7. कां0 11 सुनील कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 20.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 NBW वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 03 एनबीडब्लू वारण्टी **अभियुक्तगण 1. कन्हैया पुत्र राजेन्द्र निवासी कपूरी गोविन्दपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर, 2. राजेन्द्र पुत्र सेवाराम निवासी कपूरी गोविन्दपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को चालानी थाना गागालहेडी में **व 3. प्रताप पुत्र कैलाशी निवासी ग्राम भटौल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनुपर** को सम्बन्धित वाद सं0 06/2020 धारा 138 बीएनएस में थाना क्षेत्र देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगणो के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. कन्हैया पुत्र राजेन्द्र निवासी कपूरी गोविन्दपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. राजेन्द्र पुत्र सेवाराम निवासी कपूरी गोविन्दपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. प्रताप पुत्र कैलाशी निवासी ग्राम भटौल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2- है0का0 949 विकास तोमर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3- का0 2076 धर्मेन्द्र सिह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
4- का0 1830 शुभम कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

दिनांक 20.08.2025

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-15 जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के मामले में 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व 04 लाख रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-</u>

अवगत कराना है, कि दिनांक 09.09.2015 को वादी सलीम पुत्र हाजी जीमल निवासी मौ0 गढी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.अब्दुल कादिर उर्फ राजा पुत्र अनीस 2.सलमान पुत्र इमरान नि0गण मौ0 ढिक्को वाला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के पुत्र शोएब के उपर तेल डालकर आग लगाकर जला देने की सूचना पर मु0अ0स0-235/2015 धारा 302,34 भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-17/2019 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-15 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनीटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 20.08.2025 को अभियुक्त 1. अब्दुल कादिर उर्फ राजा पुत्र अनीस व 2. सलमान पुत्र इमरान नि0गण मौ0 ढिक्को वाला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को थाना चिलकाना पर पंजीकृत मु0अ0स0-235/2015 धारा 302,34 भादवि में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 04 लाख रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय-अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री संदीप सिंह
विवेचक- क्षेत्राधिकारी श्री परवेज आलम
पैरोकार-का0 253 मनोज कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 20.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

"Smart Police – Automatic Investigation Monitoring System Software"

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा लम्बित विवेचनाओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस उद्देश्य से **“Smart Police – Automatic Investigation Monitoring System Software”** तैयार किया गया है।

“ इस सॉफ़्टवेयर के माध्यम से विवेचना की प्रगति, संबंधित विवेचक की जवाबदेही एवं समय-सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाता है तथा पारदर्शिता, त्वरित कार्रवाई एवं पीड़ित पक्ष को शीघ्र न्याय दिलाने में सहायता मिलती है ”

इस तकनीकी नवाचार से पुलिस विवेचना की कार्यप्रणाली अधिक सुदृढ़, परिणामकारी एवं उत्तरदायी बन रही है। साथ ही, यह पहल पुलिस प्रशासन की **"स्मार्ट पुलिसिंग"** की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जनपद सहारनपुर **पुलिस का प्रयास है कि सभी लंबित प्रकरणों का यथाशीघ्र निस्तारण किया जाए एवं जनता को न्याय की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित हो।**

-प्रेस नोट-

दिनांक 20.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री एवं सेवन की कुप्रवृत्ति पर अंकुश लगाने तथा आमजन को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने हेतु दिनांक **14.08.2025** से विशेष अभियान **"ऑपरेशन सवेरा"** चलाया जा रहा है।

❖ अभियान की उपलब्धियाँ (अब तक)

- कुल **15 अभियोगों** में संलिप्त **19 अभियुक्तों की गिरफ्तारी**। अभियुक्तों के कब्जे से **926 ग्राम चरस** एवं **627 ग्राम स्मैक** बरामद।
- बरामद मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग **₹65 लाख** आँकी गई।

❖ विशेष उपलब्धि

- अभियान के दौरान **थाना चिलकाना** प्रभारी द्वारा सबसे अधिक **03 अभियुक्तों की गिरफ्तारी** की गई। इनके कब्जे से कुल **183.5 ग्राम स्मैक** बरामद की गई, जो उल्लेखनीय सफलता है।

❖ जन जागरूकता कार्यक्रम

अभियान के दौरान पुलिस द्वारा आमजन विशेषकर युवाओं को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराने के उद्देश्य से विभिन्न **स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम** आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को नशामुक्त बनाने का संदेश दिया गया और जनता से नशे की तस्करी व बिक्री करने वालों की सूचना पुलिस को उपलब्ध कराने की अपील की गई।

सहारनपुर पुलिस का संकल्प है कि "ऑपरेशन सवेरा" के माध्यम से नशे के कारोबार को जड़ से समाप्त कर जनपद को एक सुरक्षित, स्वस्थ एवं नशामुक्त समाज की दिशा में अग्रसर किया जाए।

-प्रेस नोट-

दिनांक 20.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी हेतु सहारनपुर पुलिस कार्यालय में विशेष सैल गठन

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी एवं नागरिकों को शीघ्र राहत दिलाने के उद्देश्य से **पुलिस कार्यालय सहारनपुर में एक विशेष "गुमशुदा मोबाइल सैल" का गठन किया गया है।**

इस सैल के माध्यम से – गुमशुदा मोबाइल फोन की ऑफलाइन शिकायतों का पंजीकरण एवं वैज्ञानिक तरीके से ट्रैकिंग की जाएगी। बरामद मोबाइल फोन सम्बन्धित थानों के माध्यम से शीघ्रता से वास्तविक मालिकों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

सहारनपुर पुलिस का यह प्रयास आमजन को प्रत्यक्ष राहत पहुँचाने और **"जनसेवा,** के उद्देश्य को और मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। **जनपद पुलिस का संकल्प है कि नागरिकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु हर संभव तकनीकी और मानवीय संसाधनों का उपयोग कर त्वरित व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।**